न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.— 5?? / 2024 /

माला राम पुत्र सुगना राम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 28 तारानगर (चूरू)

— वादी —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— प्रतिवादी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक ... 24

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 136 / 800 हैक्टयर तादादी 5.3994 हैक्ट. है। जिसमें वादी का नाम धन्नाराम पुत्र सुगनाराम अंकित है। जो गलत है, जबकि वादी का नाम माला राम पुत्र सुगना राम सही हैं। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम माला राम पुत्र सुगना राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण ...ल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए वादी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 136 / 800 तादादी 5.3994 हैक्ट. में वादी का नाम माला राम पुत्र सुगना राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब वादी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादी अपना नाम धन्नाराम पुत्र सुगनाराम की जगह माला राम पुत्र सुगना राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम धन्नाराम पुत्र सुगनाराम ही दर्ज है। अतः वादी धन्नाराम पुत्र सुगनाराम की जगह माला राम पुत्र सुगना राम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम माला राम पुत्र सुगना राम होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 136 / 800 तादादी 5.3994 हैक्ट.के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टी धन्नाराम पुत्र सुगनाराम Delete कर इसके स्थान पर माला राम पुत्र सुगना राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

नोट — शुद्धिपत्र दिनांक 14/06/24 द्वारा निर्णय में रोही साहवा के स्थान पर रोही तारानगर पढा जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

फोटोप्रति प्रमाणित

अति. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर (चूरू)